(17)

न्यायालय मान0राजस्व मण्डल,म0प्र0ग्वालियर

I) अपील/टीकमगढ़/भू.रा./2017/3306

प्र0क0 -एक/2017 अपील

गोविन्द दास पुत्र चिरकोले आदिवासी
ग्राम पपावनी तहसील व जिला टीकमगढ़ --- अपीलांट

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन व्दारा कलेक्टर टीकमगढ़ ---रिस्पाण्डेन्ट

(अपील अंतर्गत धारा 44, म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 - कलेक्टर जिला टीकमगढ़ व्दारा प्रकरण कमांक 17 अ-21/ 2016-17 में पारित आदेश दिनांक 25-4-17 के विरूद्ध)

महोदय,

## अपील प्रस्तुत करने के संक्षिप्त कारण

यह कि अपीलांट व्दारा कय की गई स्वअर्जित भूमि ग्राम सिमरा भाटा तहसील पृथ्वीगढ़ में सर्वे कमांक 310/4 रकबा 2.024 हैक्टर में हिस्सा 3/4 एंव सर्वे कमांक 311/2 रकबा 2.023 हैक्टर में हिस्सा 1/2 है। अपीलांट ने निम्न आधारों पर कलेक्टर टीकमगढ़ से उक्त भूमि के विकय की अनुमति की मांग आदिवासी होने के आधार पर की गई :-

1. अपीलांट ग्राम पपावनी तहसील टीकमगढ़ में रहता है एंव उक्तांकित भूमि ग्राम सिमरा भाटा तहसील पृथ्वीपुर में है ग्राम पपावनी एंव सिमरा भाटा की दूरी 70-80 किलो मीटर है जिसके कारण अपीलांट उक्त भूमि हॅकवा जुतवाकर फसल बुवाई कराता है किन्तु ग्राम में न रहने के कारण अन्य ग्रामीण फसल उजड़वा देते हैं जिसके कारण भूमि अपीलांट को लाभकारी नहीं है।
2. अपीलांट गरीव आदिवासी है जिसकी बेटी का विवाह करना है अच्छा घर-बर देखने के कारण विवाह अच्छा करना पड़ेगा जिसमें पैसा खर्च होगा इसलिये पैसे की आवश्यकता है।
3. अपीलांट उक्तांकित भूमि विकय करके ग्राम पपावनी में अन्य उन्नत किस्म की खेती की जमीन कय करेगा।

(1)

# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/अपील/टीकमगढ़/भू.रा./2017/3306 जिला टीकमगढ गोविंददास विरूद्ध शासन

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 05-09-2018 | 1. प्रकरण प्रस्तुत। दिनांक 27-08-2018 को आवेदक/अपीलांट के अभिभाषक श्री जी.पी. नायक को सुना गया। उनके द्वारा इस न्यायालय में कलेक्टर टीमकगढ़ के आदेश दिनांक 25-04-2017 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। मेरे द्वारा अभिलेख का अवलोकन किया गया।<br>2. अनावेदक श्री गोविंददास के द्वारा ग्राम पपावनी तहसील व जिला टीकमगढ़ की ओर शासकीय बंटन में प्राप्त पट्टे की भूमि खसरा नंबर 310/2, 311/2 की कुछ भूमि के विक्रय हेतु अनुमति चाही गई थी। कलेक्टर के द्वारा उक्त विक्रय अनुमति आवेदन पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उपखंड अधिकारी निवाडी से प्रतिवेदन प्राप्त किया था। अनुविभागीय अधिकारी ने अपने प्रतिवेदन के अंतिम पैरा में निम्नानुसार टीप अंकित की गई थी। आवेदक आदिवासी अनुसूचित जनजाति का है, आवेदित भूमि बंटन में प्राप्त हूई थी। आवेदक द्वारा भूमि विक्रय का मुख्य कारण जो बतलाया है वह युक्ति संगत नहीं है अत: मेरे मत से आवेदक को भूमि विक्रय की अनुमति दी जाना उचित नहीं है।<br>3. कलेक्टर ने अपने आदेश में अंकित किया है कि आवेदक के द्वारा अपनी पुत्री के विवाह के लिए भूमि विक्रय की अनुमति चाही गई है। इसके लिए आवेदक को समझाइस दी जाती है कि जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत वह शासन द्वारा संचालित मुख्यमंत्री कन्यादान योजनाओं के अंतर्गत अपनी पुत्री का विवाह कर सकता है। आवेदक द्वारा भूमि विक्रय का अन्य कारण युक्तिसंगत नहीं है। इस प्रकरण में भूमि विक्रय किये जाने की अनुमति दिये जाने हेतु कोई ठोस कारण नहीं | |

(2)

पाया जाता है। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र खारिज किया जाता है।

4. उपरोक्त के अनुक्रम में कलेक्टर के आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होने से प्रस्तुत अपील निरस्त की जाती है।

सदस्य 5/9/18